



राजस्थान-सरकार  
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर  
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर  
☎: 0141-2704357 📠: 0141-2704358  
Email : dir-sans-rj@nic.in/sans.estt1@gmail.com

75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

क्रमांक:- निसंशि/संस्था-1/पं. विद्या संबल योजना/2022/9079-9116 दिनांक: 21/10/22  
विज्ञप्ति

राजस्थान सरकार, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक: पं. 6(2) वित्त /साविलेनि/2021जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-6) के पत्र क्रमांक पं.1(17)शिक्षा-6/20211 पार्ट जयपुर, दिनांक 20.10.2022 के क्रम में विभाग के राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अन्तर्गत पात्र सेवानिवृत्त/ निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाये जाने वाले शिक्षकों के पदों/योग्यताएँ/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाये जाने वाले पद एवं योग्यताएं :-

क्र.सं.	पदनाम	योग्यता
1	सहायक आचार्य (विभिन्न विषय)	राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवानियम-2022 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार।

(सेवानियमों का <https://rajsanskrit.nic.in> पर अवलोकन किया जा सकता है।)

नोट-

- 1 गैस्ट फ़ैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
- 2 विद्या सम्बल योजना के तहत गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी लगाये जायेंगे।
- 3 सेवा निवृत्त शिक्षक गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
- 4 सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।

(2) रिक्तियां-

विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में महाविद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जायेगा। रिक्त पद पर आवश्यकता के आंकलन उपरान्त आवश्यकतानुसार ही लगाया जायेगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन-

महाविद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन संबंधित महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड/महाविद्यालय की बेवसाइट क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, तथा विभागीय वेबसाइट <http://rajsanskrit.nic.in> पर किया जायेगा।

*(Handwritten signature)*



किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक के आयु के सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय-सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक महाविद्यालय समय में संबंधित महाविद्यालय प्राचार्य को स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

**(5) वरीयता का निर्धारण-**

विद्या संबल योजना के तहत गैस्ट फ़ैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त महाविद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य द्वारा किया जाएगा।

वरीयता सूची के प्रकाशन से पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है-

1 आवेदन पदों की जांच महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा/निदेशालय द्वारा पात्रता के लिये निर्धारित एवं संसूचित दिशा निर्देश/शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जायेगा। महाविद्यालय द्वारा तैयार पैनल का निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु निदेशालय में संयुक्त निदेशक स्तर पर गठित समिति द्वारा महाविद्यालय से प्राप्त पैनल का परीक्षण किया जायेगा। निदेशालय स्तर पर गठित समिति से अनुमोदन के पश्चात गैस्ट फ़ैकल्टी के पैनल से वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा।

2 प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक रिक्त के विरुद्ध पात्र अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।

वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर/आचार्य) के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर रहेगी।

समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से उपर रखा जायेगा। गैस्ट फ़ैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

**(6) परिवेदना प्रस्तुत करना-**

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संयुक्त निदेशक संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर के कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। विभाग स्तर पर परिवेदना समिति नियमानुसार होगी।

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1	संयुक्त निदेशक	अध्यक्ष
2	शैक्षणिक अधिकारी	सदस्य

*R*

3	संस्थापन अधिकारी	सदस्य
4	प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य

(7) विद्या संबल योजना के तहत मानदेय :-

विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गैस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घण्टा (60 मिनट) मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा-

क्र.सं.	पद	प्रति घंटा (60 मिनट) मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1	सहायक आचार्य	800 रुपये	45000 रुपये

(8) अन्य शर्तें-

1. चयनित अभ्यर्थी को गैस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संबंधित प्राचार्य द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे।
2. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
3. गैस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षा सत्र 2022-23 अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा।
4. गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अधीन रखा जावेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।
5. गैस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संबंधित प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संबंधित प्राचार्य द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।
6. विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी के रिक्त पदों पर मानदण्डानुसार न्यूनतम छात्र संख्या होने पर ही नियुक्ति दी जानी है।

(9) टाईम टेबिल -

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1	दिनांक 03.11.2022	विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन
2	दिनांक 04.11.2022 से 07.11.2022 (महाविद्यालय समय में)	आवेदन करने की तिथि
3	दिनांक 09.11.2022	प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची प्रकाशित करना (प्राचार्य द्वारा)
4	दिनांक 10.11.2022 एवं 11.11.2022	पात्रता की जांच करना एवं अनुमोदन करवाना





	दिनांक 14.12.2022	वरीयता सूची बनाना (अस्थाई) एवं जारी करना
5	दिनांक 15.11.2022	आपत्तियां मांगना
6	दिनांक 16.11.2022	मूल दस्तावेजों की जांच करना
7	दिनांक 17.11.2022	अन्तिम वरीयता सूची बनाना (स्थाई)
8	दिनांक 18.11.2022	आदेश जारी करना
9	दिनांक 25.11.2022	कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि

संलग्न:-1.वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 30.03.2021

2 शपथ पत्र का प्रारूप।

3. आवेदन पत्र का प्रारूप।

9079-9116

21-10-22

(डॉ० भास्कर शर्मा)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. उपशासन सचिव (शिक्षा ग्रुप-6) शासन सचिवालय जयपुर।
5. प्राचार्य, राजकीय शास्त्री/आचार्य संस्कृत महाविद्यालय राजस्थान।
6. वेबसाईट प्रभारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(डॉ० शालिनी सक्सेना)

संयुक्त निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रारूप

शपथ-पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....  
.....विभाग.....(संस्थान का नाम) में दिनांक.....को  
गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने.....विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....  
.....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित  
शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम)  
विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.....को  
अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं  
तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख  
एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन  
पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास,  
जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं  
यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे  
गैस्ट फेकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के  
empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही  
मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं  
करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार  
अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/  
करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।





7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फ़ैकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई अपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता



राजस्थान-सरकार  
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर  
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर  
☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358 email : dir-sans-ri@nic.in

75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

### आवेदन का प्रारूप

फोटो

- 1 आवेदक का नाम:-
- 2 पिता का नाम:-
- 3 आवेदित महाविद्यालय का नाम:-
- 4 आवेदित पद का नाम:-
- 5 आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि:-
- 6 जन्म तिथि:-
- 7 शैक्षणिक योग्यता: 1. आचार्य/अधिस्नातक (विषय.....)वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न-1
8. अन्य योग्यतायें:- 1. ....उत्तीर्ण वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न-2  
2. ....उत्तीर्ण वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न-3  
3.....उत्तीर्ण वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न-4
9. सेवानिवृत्त कार्मिक की स्थिति में पीपीओ नम्बर व सेवानिवृत्ति के समय धारित पद..... संलग्न-5
- 10 निवास का पता:- 1. स्थाई .....  
.....  
2. वर्तमान .....
- 11 मोबाईल नम्बर:-.....
- 12 जाति वर्ग.....प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न-6
- 13 अन्य(विकलांग/भूपू सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्ट्स पर्सन) संलग्न-7
- 14 मूलनिवास प्रमाण पत्र। संलग्न-8
- 15 चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न-9 व 10

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची-संलग्नक 1 से 10 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) व शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर





राजस्थान सरकार  
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग



क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021

जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया।

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए "विद्या संबल योजना" लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फ़ैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फ़ैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फ़ैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फ़ैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

(क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधधीन गैस्ट फ़ैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा



7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फ़ैकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता



(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

- I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।
- II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार-संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फ़ैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।
- II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फ़ैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड-III	1 से 8	300/-	21000/-
ग्रेड-II	9 से 10	350/-	25000/-
ग्रेड-I	11 से 12	400/-	30000/-
अनुदेशक	-	300/-	21000/-
प्रयोगशाला सहायक	-	300/-	21000/-

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/-	45000/-
सह आचार्य	1000/-	52000/-
आचार्य	1200/-	60000/-

6. गैस्ट फ़ैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।



7. गैस्ट फ़ैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सन्त्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।




( डॉ. पूष्पी )  
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकामुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रायली।



(विमल कुमार गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04/2021)